Indraprastha College for Women

University of Delhi

7 September 2018

IPC/15/09

NOTICE

Students belonging to the minority communities are hereby informed that the Ministry of Minority Affairs has launched various Scholarship schemes for them. Detailed information for the same is available at www.minorityaffairs.gov.in. Students are advised to go through the instructions carefully and apply accordingly.

Principal

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति : 2018-19
(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2018-19 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

समय-सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण (वह आवेदक जिसने 2017-18 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख — **30 सितम्बर 2018**

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट – **www.scholarships.gov.in** (इस साइट का लिंक **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 15 अगस्त, 2018 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

davp 27101/13/0067/1819

विस्तृत जानकारी के लिए **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय** की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर जाएं।
(समाधान हेल्पलाइन : 1800-11-2001)